उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-174/2015/2000/71-1-2015-क-92/2009
लखनऊ : दिनांक 16 नवम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 सीमा उपाध्याय द्विवेदी, सम्बद्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर, जो पी0एम0एच0एस0 संवर्ग की चिकित्साधिकारी है, को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर मेडिकल कालेज, कानपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में प्रवक्ता के पद पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2575/71-1-09-क-92/2009, दिनॉक 29-10-2009 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए, तैनात किया गया था। डा0 सीमा उपाध्याय द्विवेदी की सेवा स्थानान्तरण अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है। अन्तिम बार डा0 सीमा उपाध्याय द्विवेदी की सेवा स्थानान्तरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-33/2924/71-1-14-क-92/2009, दिनॉक 29-10-2014 द्वारा एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी गयी थी। उक्त अवधि दिनॉक 28-10-2015 को समाप्त हो गयी है। डा0 सीमा उपाध्याय को कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07-08-2015 द्वारा सहायक आचार्य के रूप में पदनामित किया गया है।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2014 /2670, दिनॉक 01-10-2014 पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय डा0 सीमा उपाध्याय द्विवेदी, सहायक आचार्य, आब्स एण्ड गायनी, मेडिकल कालेज, कानपुर की सेवा स्थानान्तरण अवधि दिनॉक 28-10-2015 के पश्चात् 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए बढ़ाये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव

संख्या:-174/2015/2000(1)/71-1-2015- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
6- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर।
7- कोषाधिकारी, कानपुर।
8- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
9- चिकित्सा अनुभाग-11/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।